मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रं. / निज.सहा. / सचिव / 2021 / 29 भोपाल दिनांक 15.04.2021

प्रति

1. समस्त कलेक्टर,
   मध्यप्रदेश
2. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक,
   स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश
3. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
   मध्यप्रदेश

विषय :– रेमडेसीवर इंजेक्शन की आपूर्ति व वितरण के संबंध में ।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि अभी रेमडेसीवर इंजेक्शन की जो आपूर्ति चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से की जा रही है। इसमें से आपूर्ति का 50 प्रतिशत चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं 50 प्रतिशत संभागीय संयुक्त संचालक के माध्यम से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को दिया जा रहा है। जो 50 प्रतिशत आपूर्ति स्वास्थ्य विभाग को प्राप्त हो रही है उसका आधा जिला अस्पताल एवं शासकीय चिकित्सालय तथा शेष आपूर्ति इंदौर, भोपाल, देवास एवं उज्जैन को छोड़कर प्रायवेट अस्पताल को कलेक्टर के माध्यम से वितरित किया जाना है।

प्रायवेट अस्पताल को रेमडेसीवर इंजेक्शन की आपूर्ति देने का आधार उनके पास आईसीयू / एच.डी.यू. बेड की आक्यूपेंसी का शत–प्रतिशत एवं आक्सीजन बेड की आक्यूपेंसी का 15 प्रतिशत रहेगी। रेमडेसीवर इंजेक्शन की आपूर्ति का आवंटन कलेक्टर द्वारा आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा रेमडेसीवर इंजेक्शन की आपूर्ति से प्राप्त राशि (रूपये 1568 / – प्रति इंजेक्शन) रेड क्रास के माध्यम से जमा की जावेगी।

इंदौर / उज्जैन / देवास / भोपाल के लिये स्वास्थ्य विभाग को प्राप्त रेमडेसीवर इंजेक्शन की आपूर्ति का आधा शासकीय अस्पताल एवं शेष आधा अनुबंधित एवं गैर अनुबंधित प्रायवेट अस्पतालों को दी जावेगी। गैर अनुबंधित अस्पताल से राशि प्राप्त कर रेडक्रास में जमा की जावेगी। अनुबंधित प्रायवेट अस्पताल से इंजेक्शन की राशि नही ली जायेगी। अनुबंधित एवं गैर अनुबंधित अस्पतालों को इंजेक्शन देने का आधार उपरोक्तानुसार आईसीयू / एचडीयू बेड आक्यूपेंसी का शत–प्रतिशत एवं ऑक्सीजन बेड आक्यूपेंसी का 15 प्रतिशत रहेगा।

आज दिनांक व इसके पश्चात रेमडेसीवर इंजेक्शन की आपूर्ति व वितरण उपरोक्त अनुसार सुनिश्चित किया जावे।

(आकाश त्रिपाठी)
सचिव
म.प्र. शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ.क्रं. / निज.सहा. / सचिव / 2021 / 30 भोपाल दिनांक 15.04.2021

प्रतिलिपिः–

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय ।
2. नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश भोपाल ।
3. प्रबंध संचालक, म.प्र. पब्लिक हेल्थ सर्विस कार्पोरेशन, भोपाल ।
4. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल ।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, आयुष्मान भारत, भोपाल ।

सचिव

म.प्र. शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग